

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा-प्रार/नियु प्रको/नियु-2/982/शि.भर्ती-2021-22/2021

दिनांक :- 9.02.2022

विज्ञप्ति

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-22

ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि बढ़ाये जाने एवं पूर्व में भर चुके आवेदन में संशोधन हेतु

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-22 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक, लेवल-प्रथम (सामान्य/विशेष शिक्षा) के पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक: 31.12.2021 को जारी विज्ञापन संख्या-01/2021-22 तथा 02/2021-22 के क्रम में ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक: 09.02.2022 नियत की गई थी जिसको दिनांक: 16.02.2022 तक बढ़ाई जाती है, इच्छुक पात्र आवेदक उक्त अवधि में आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

उक्त भर्ती अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक, लेवल-प्रथम (सामान्य/विशेष शिक्षा) के पदों पर ऑनलाईन आवेदन कर चुके आशार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे Recruitment Portal पर SSO आई डी के माध्यम से लॉग-इन कर उनके द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन में निम्नानुसार संशोधन कर सकते हैं:-

1. आवेदित पद, आवेदन क्रमांक एवं आशार्थी के नाम में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इनके अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकता है।
2. संशोधन/सुधार हेतु सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को रुपये 100/- शुल्क ऑनलाईन जमा कराना अनिवार्य होगा।
3. ऑनलाईन आवेदन में भरी गई सूचनाओं में किसी प्रकार के संशोधन/सुधार हेतु आशार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। आवेदन में संशोधन/सुधार के समय किसी प्रकार की कोई त्रुटि/गलती किये जाने पर आशार्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी, अतः आशार्थी स्वयं संशोधित/सुधार संबंधी की गई सूचनाओं का भली भाँति अवलोकन कर अन्तिम रूप से ऑनलाईन आवेदन को सबमिट करें।
4. उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार नहीं किया जायेगा।
5. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन/सुधार हेतु विभाग स्तर पर किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा तथा भविष्य में ऑफलाईन संशोधन/सुधार सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
6. ऑनलाईन आवेदन में दिनांक: 10.02.2022 से 16.02.2022 तक रात्रि 12:00 बजे से पूर्व तक संशोधन/सुधार किया जा सकेगा, इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

शेष शर्तें एवं प्रावधान मूल विज्ञापन के अनुसार यथावत रहेंगे।



(काना राम)

IAS

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं प.राज(प्रा.शि)

राजस्थान बीकानेर।